अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री आशिष जैन सुमित जैन/इन्द्रेश रामचंदानी 01	मादर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

भव्य बनाम नेमीचंद वगैरह (2025/403)

26.08.2025

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत पेश किया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र की प्रति दी गई। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 08.09.2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

08.09.2025

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 26.08.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत का निरतारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता के जीवनकाल में उपरोक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते घोषणा अवधारणीय नहीं है। अप्रार्थी उत्तरकर्ता विशिष्ट अनुसूची जनजाति वर्ग के सदस्य है। जिसके विचाराधीन रहते हुए प्रस्तुत अपील उक्त अभिवचन के आधार पर कारण बनाकर संस्थित किया गया है। जो कारण विहिन है, उपरोक्त प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्तनीय है।

श्रीमती लाली देवी को अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद असक्षम रूप से प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी भव्य का जन्म अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पिता रामदयाल पुत्र छोगालाल के देहावसान पश्चात हुए था एवं एवं अप्रार्थी उत्तरकर्ता का विवाह भी उपरोक्त प्रार्थी की माता श्रीमती लाली देवी से विवाह रामदयाल के देहावसान के पश्चात ही हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवधारणीय नहीं है एवं प्रार्थी उपरोक्त नेमीचंद के जीवनकाल में जो सम्पत्तियां उसे पिता रामदयाल से अर्जित हो चुकी थी के बाबत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवधारर्णीय नहीं है।

उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोचित आदेश पूर्णतः न्यायसंगत है। एक पक्षीय रूप से स्थगन प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थीया ने न्यायालय के आदेश की पालना में कोई सार्थक सहयोग, तत्परता प्रकट नहीं की थी। इसके विपरित अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बहस के लिये सदैव इच्छुक रहे थें एवं इसके उपरान्त भी प्रार्थी स्थगन आदेश होने के कारण न्यायालय के समक्ष न तो बहस लिये आया, ना ही उसने किसी प्रकार से प्रकरण में पैरवी के लिये इच्छुकता जाहिर की ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन अपील के जरिये चुनौती ग्रस्त कर विवेकाधीन अनुतोष वांछित अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर अपने निर्णय 213

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

–भेरा बनाम नेमीचन्द कोरह

403/2025/225

लगातार.....

एस0ए0आर0 पेज नम्बर 235 में स्पष्टतः मत प्रतिपादित किया है। जो हस्तगत प्रकरण पर तथ्य परिस्थितियों में पूर्ण प्रभावी होता है।

रेस्पोडेन्ट कमला देवी फौत हो चुकी है एवं अपील मृतक के विरूद्ध होने से भी पोषणीय नहीं है।

पहलू विधि से सुस्थापित है कि पिता के जीवनकाल में दादा की सम्पत्ति में पोता हित अधिकार नहीं रखता है।

यह तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट है कि दिनांक 08.05.2024 को प्राप्त अन्तरिम आदेश के बाबत एक वर्ष 02 माह की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी आदेश 39 नियम 3 के विधिक उपबन्धों की पालना नहीं की गई थी। जब विधायिका के आज्ञापक उपबंधों की अपीलार्थी द्वारा पालना नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि He who not comply the legal statutory provison he can not make blame upon court and further more he can be given benefit by relief in his favour.

उपरोक्त परिपेक्ष में अपील सारहीन होने से खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौरान जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में समस्त विधिक कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया गया जिस पर अपीलांट ने आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करते हुए रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये इन सभी तथ्यों को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा कमला देवी को मृतक होना बताया है यदि कमला देवी फौत भी हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसान पहले से ही रिकार्ड पर उपलब्ध है अतः उनका नाम अपील से तर्क किया जावें। नाबालिग का संरक्षक माता अथवा पिता दोनो में से एक हो सकता है। वादग्रस्त आराजीयात की पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें अपीलांट के हक अधिकार जन्म से ही निहित है। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत सव्यय खारिज किया जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था जिसे दिनांक 08.05.2024 को दर्ज कर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये थे। जिसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 व 13 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा सीपीसी के आदेश 39 नियम 3 की पालना एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किये जाने के उपरांत नहीं की गई। यहां यह कहना भी उचित होगा की यदि पक्षकार द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया जाता है तो उसके संदर्भ में दिये गये निर्देशों की भी पालना की जानी चाहिए जो अपीलांट/ प्रार्थी द्वारा नहीं की गई है जो कि अधीनस्थ न्यालालय की आदेशिकाओं से स्पष्टतया प्रमाणित है।

इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 04 कमला देवी मृतक है जिसे पक्षकार संयोजित कर अपील प्रस्तुत की है जो कि कानूनन चलने योग्य नहीं है।

लगातार.....

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

025/225 भल्ल बनाम नेमीचन्द वगैरह

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण नहीं किया गया। अपीलांट/प्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिक उपचार प्राप्त करने हेतु अवसर शेष है।

अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बावत स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट मृतक पक्षकार के विरूद्ध पेश किये जाने से कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या 403 / 2025 जिला अजमेर

2025/403

भव्य पुत्र श्री नेमीचन्द पौत्र श्री रामदयाल नाबालिग जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता श्रीमती लाली देवी पत्नि श्री नेमीचन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

— अपीलांट

बनाम्

1. नेमीचन्द पुत्र स्व0 श्री रामदयाल
2. कंचन देवी पत्नि कन्हैयालाल
3. कन्हैयालाल पुत्र ब्रह्मा
4. कमला देवी पत्नि रामदयाल
5. प्रेमचन्द पुत्र हीरा
6. प्रेमदेवी पत्नि रामेश्वर
7. भैरूलाल पुत्र रामेश्वर
8. भंवरलाल पुत्र छोगा
9. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर
10. रेखा पुत्री रामेश्वर
11. राजेश पुत्र रामेश्वर
12. रामसिंह पुत्र छोगा
13. विधादेवी उर्फ पिंकी पुत्री छोगा
14. सुशीला देवी पत्नि हरिनारायण
15. हरचंद पुत्र छोगा
16. हरिनारायण पुत्र ब्रह्मा

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

17. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढसिटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
18. श्रीमान उप पंजीयक महोदय किशनगढ जिला अजमेर।

403/2025 19.8.25

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 19/8/25

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय किशनगढ जिला अजमेर।
— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ दिनांक 15.7.2025 जो कि प्रकरण 52/2024 बउनवानी भव्य बनाम् नेमीचन्द व अन्य में पारित किया गया।

———

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है :—

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र के कथनों पर आधारित एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट का पिता है तथा रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 व 16 अपीलांट के परिवार के सदस्य है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के एक पुत्र भव्य (अपीलांट स्वयं) एवं एक पुत्री प्रिंयाशी है। ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित एकीकरण जमाबन्दी सम्वत् 2019 के खसरा संख्या 122 क्षेत्रफल 8 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 125 क्षेत्रफल 59 बीघा 7 बिस्वा राजस्व रिकोर्ड में अपीलांट के पूर्वज कज्जा चल्द हरदेव कौम मीना के नाम दर्ज थी। इसके पश्चात् उक्त वर्णित खसरा नम्बरों के वर्किंग जमाबन्दी में खसरा संख्या 122 क्षेत्रफल 8 बीघा 6 बिस्वा खसरा संख्या 125/1 क्षेत्रफल 39 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा संख्या 125/2 क्षेत्रफल 20 बीघा कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 67

Scanned with CamScanner